न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 112/2013 **RCMS 2013/00079**

वादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम
2. हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल
3. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी देउसर तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासीं पाचवा तहसील कुचामनसिटी
2. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
3. निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी
4. पटवारी हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक, व स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा व गलत खसरा अकन की गलती के शुद्विकरण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री तहसीलदार कुचामनसिटी पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनॉक :– 03/02/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राप पांचवा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 616 रकबा 35 बीघा भूमि प्रतिवादी नं.1 शंकरलाल के कब्जा खातेदारी की स्थित रही है, इस भूमि मे प्रतिवादी नं. 1 ने स्वयं के खर्चो से नया कुआ बना लिया था, इस भूमि के नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही मे नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर कुआ खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर की किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 5.67 कायम हुए है जो वर्तमान में नवीन ग्राम देउसर पटवार मण्डल पांचवा की सरहद में अंकित है। बिणजारी तलाई से ग्राम चितावा को जाने वाला आम रास्ता स्थित है जो वर्तमान में सड़क मार्ग बन चुका है इस सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ उपर्युक्त भूमि स्थित है, उपर्युक्त भूमि वादीगणों ने जरिए पंजीकृत पत्र के दिनॉक 16.12.06 को प्रतिवादी नं. से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादीगण बहैसियत खातेदार कृषक इस भूमि पर काबिज है वादीगण अपनी क्रय शुद्व इस भूमि अर्द्व निर्मित कुए कर विद्युत पम्प सेट लगाकर विद्युतीकृत किया है, लाखों रूपये खर्च कर भूमि को उपजाऊ बनाकर चाही बनाया है वादीगण की भूमि के चारो तरफ बाड़ डोल लगा रखी है इस जाव में वादीगण अपनी सुविधानुसार फसल बोकर सिंचाई करते आ रहे है उपर्युक्त भूमि में कोई सरकार भूमि नही रही है, वादीगण द्वारा उपर्युक्त भूमि जब खरीदी तब जहॉ प्रतिवादी सं. 1 का भौतिक कब्जा रहा, वही पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया और उसी पर वादीगण काबिज चले आ रहे है वादीगण की उपर्युक्त भूमि में कभी सरकार भूमि नहीं रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से पटवारी हल्का द्वारा कहा जाने लगा कि वादीगण ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

इसलिए इन्हे बेदखल करायेंगे तथा वादीगण के जाव के टुकड़े किए जावेंगे तब वादीगण नक्शा ट्रेस व आवश्यक नकलात प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मौका के कब्जा की भौतिक स्थिति के विपरीत नवीन भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने उक्त रास्ता दक्षिणी तरफ प्रतिवादी नं. 1 के कब्जा व खातेदारी की भूमि, के कुछ भाग की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर अंकित कर दिए तथा नक्शा ट्रेस में भी ऐसा ही अंकन कर दिया गया। जबकि मौके पर नवीन खसरा नम्बर 318/111 के अंकन की कोई भूमि ही विद्यमान नही है न ही मौका पर इस खसरा को खसरा नम्बर 111 से अलग करने जैसे कोई अलामात या सीमा न पहले भी नही वर्तमान में है। नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन खसरा नम्बर 112 की पूर्वी तरफ व नवीन खसरा नम्बर 176 व 105 के पश्चिमी तरफ स्थित भूमि व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ स्थित भूमि नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि है यह भूमि मौके पर 5.67 हैक्टर भूमि ही है इन परिसीमाओं के बीच नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 318/111 की भूमि विद्यमान नही है। वादीगण की इस भूमि के उत्तरी तरफ रास्ता सड़क नवीन खसरा नम्बर 113 व 317/116 की भूमि स्थित है जो करीब साढ़े तेरह बीघा भूमि है उक्त भूमि मौके पर रास्ता व उससे उतरी तरफ की भूमि मौके पर 2.18 हैक्टर है, जबकि सरकारी खाते में 0.40 +0.74 कुल 1.14 हैक्टर ही अंकित कर रखा है तात्पर्य यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 113 व 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर विद्यमान है, मौके पर नक्शा ट्रेस व रेकर्ड में अंकित खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व ही नही है, बिना अस्तित्व के भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने नया खसरा नम्बर 318/111 नक्शा व रेकर्ड में कायम किया है, जबकि नक्शा व रेकर्ड में नवीन खसरा नम्बर 113 व 317/116 का रकबा 2.18 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था पर जो कम दर्ज किया गया। नवीन सेटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व भी गत खसरा नम्बर 616 के उत्तरी तरफ गत खसरा नम्बर 542 की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित रही है,नवीन भू-प्रबन्ध अधिकारियों के नवीन खसरा नम्बर 318/111 को गत खसरा नम्बर 542, 616 का भाग दर्शाते हुए खसरा मिलान बनाया है जो सर्वथा गलत व मौका व गत नक्शा व रेकर्ड के विपरित है, गत नक्शा ट्रेस की स्थिति के विपरीत नवीन खसरा नम्बर 318/111 को नक्शा व रेकर्ड में कायम किया गया है जो सर्वथा गलत अंकन है मौके पर नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि व नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 की भूमि गत नक्शा में अंकित गत खसरा नम्बर 616 का ही भाग है गत खसरा नम्बर 542 की भूमि इस भूमि के नजदीक भी नही है। जहा प्रतिवादी नं. 1 काबिज था वही पर वादीगण काबिज है अगर वादीगण की इस 5.67 हैक्टर भूमि में वादीगण के कब्जा व अधिकार में खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर के किसी प्रकार का दखल भू-प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से किए गए उपर्युक्त गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 ता 4 डालने में सफल हो गए तो वादीगण के जायज अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीगण के जाव की शक्ल ही बदल जावेंगी एवं अपूर्तनीय क्षति वादीगण को होगी, इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हुआ है। नवीन नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व मौके पर नही होने से उक्त गलती का शुद्विकरण किया जाने योग्य है, क्योकि खसरा नम्बर 318/111 का जो रकबा रेकर्ड मे दर्शाया गया है [illegible] खसरा नम्बर 113, 317/116 में समाहित है इसलिए गांव का रकबा बढ़ने का [illegible] ही नही है, खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के [illegible] जाने योग्य है तथा नक्शा में की गई खसरा नम्बर 318/111 के [illegible] कर नक्शा दुरूस्त कर सुधार किया जाने योग्य है। बिनाय दावा पन्द्रह बीस रोज से प्र[illegible]दी सं. 2 के अधीनस्थ कर्मचारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा उक्त धमकी बेदखली बाबत देने पर व रेकर्ड नक्शा की नकलात दिनॉक 19.11.12 को प्राप्त करने पर रेकर्ड व नक्शा की उक्त गलती की जानकारी होने पर बमुकाम पांचवा में पैदा हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राकम देऊसर पटवार मण्डल पांचवा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ नक्शा शीट में घोषित किया जावे व नक्शा शीट में अंकित खसरा नम्बर 318/111 को विलोपित किया जावें। खसरा नम्बर 318/111 का अंकित रकबा 1.04 हैक्टर को खसरा नम्बर 113, 317/116 में समाहित किया जावें व खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर घोषित किया जावें व रेकर्ड से खसरा नम्बर 318/111 का रकबा 1.04 हैक्टर विलोपित किया जावें। खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ स्थित 5.66 हैक्टर भूमि में नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल प्रतिवादीगण 2 ता 4 नही डालें, वादीगण के भूमि के कब्जा की मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं.2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद उसे वाद में अंकित तथ्य स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 616 व 542 मिन जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर राजकीय खाते में दर्ज है, वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उसके विरूद्व विधिवत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर जो कि गत खसरा नम्बर 542 व 616 से बना है, भू–प्रबन्ध संक्रियाओ से पूर्व भी राजकीय भूमि दर्ज थी व आज भी राजकीय दर्ज है, नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान मौके के अनुसार ही नक्शा तैयार किया गया है, धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वाद चलने योग्य नही है वाद खारिज योग्य है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. गोचर किस्म भूमि में कभी भी किसी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 की नकल, नामा. सं. 298, 450, 593 की प्रमाणित नकल, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकले, पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनॉक 24.02.07 की प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2065–2068 खाता सं. 1, 37, 38, 65 की नकल, नकल खतौनी सम्वत 2073–2076, जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 सम्वत 2010–2013, 2033–2036, 2037–2040, 2042–[illegible] गत की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम पांचवा के गत खसरा [illegible] 6 एवं 542 सम्वत 2010–2013, 2022–2025, 2026–2029, 2030–20[illegible] 2010–2013, 2014–2017, 2030–2033 चालू जमाबंदी की नक[illegible] साक्ष्य में वादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादी रामेश्वरलाल, रामनिवास, हरदेवाराम एवं गवाह देबूराम व टोडाराम के प्रस्तुत किये। वादी वकील द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया ग्राम देउसर पटवार मण्डल पांचवा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 111 का रकबा 5.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ नक्शा शीट में घोषित किया जावें व नक्शा शीट में अंकित खसरा नम्बर 318/111 को विलोपित किया जावें ?

जिम्मे वादीगण

2. आया ग्राम देउसर के खसरा नम्बर 318/111 का अंकित रकबा 1.04 हैक्टर को खसरा नम्बर 113, 317/116 में समाहित किया जावे व खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर घोषित किया जावें व रेकर्ड से खसरा नम्बर 318/111 का रकबा 1.04 हैक्टर विलोपित किया जावें ?

जिम्मे वादीगण

3. आया खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ स्थित 5.66 हैक्टर भूमि में नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल प्रतिवादीगण 2 ता 4 नही डालें, वादीगण के भूमि के कब्जा की मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगा विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें ?

जिम्मे वादीगण

4. आया देउसर के गत खसरा नम्बर 616 व 542 के नवीन खसरा नम्बर 616 व 542 के नवीन खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर राजकीय भूमि दर्ज है जिसमें वादीगण को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु.गोचर भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते, इसलिए वाद खारिज फरमाया जावें ?

जिम्मे प्रतिवादी सं.2

5. अनुतोष ।

प्रकरण का निर्णय तनकीवार निम्नवत है :–

तनकी संख्या 01– को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिन्होने अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये। जमाबंदी नकल सम्वत 2010–2013 ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा गै.मु.खारड़ा, खसरा नम्बर 542 रकबा 78 बीघा 17 बिस्वा गै.मु.खारड़ा दर्ज है, सम्वत 2022–2025 एवं 2026–2029, 2030–2033 में भी उक्त अनुसार प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2030–2033 में खसरा नम्बर 542 रकबा 15 बीघा खारड़ा, खसरा नम्बर 616 रकबा 277 बीघा खारड़ा दर्ज है। खसरा नम्बर 542 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा गोचर, खसरा नम्बर [illegible] बिस्वा गोचर दर्ज है, गिरदावरी नकलो में हरिप्रसाद पुत्र गंगाबिशन की काश्त द[illegible] सरदारपुरा की जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 में चारागाह ख[illegible] 1.04 हैक्टर गै.मु.गोचर दर्ज है। सरदारपुरा की जमाबंदी नकल [illegible] गडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिए नही) खसरा नम्बर 2, 18, 76, 84, 90, 113, 1[illegible] 154, 171 कुल रकबा 3.52 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गै.मु.रास्ता दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम सरदारपुरा के नये काफी खसरे गत खसरा नम्बर 542 एवं 616 से अंकित हुये है। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 ग्राम सरदारपुरा के खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 116 रकबा 4.86 हैक्टर विभिन्न खातेदारो के नाम भूमि दर्ज रही है। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 ग्राम सरदारपुरा के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 2, 18, 76,84, 90, 113, 144, 154, 171, 69 कुल रकबा 4.17 हैक्टर गै.मु.रास्ता राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 ग्राम सरदारपुरा के खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 86, 88, 112, 114, 115, 207/111, 302/83, 303/83, 311/87, 312/251, 315/109, 317/116, 318/111, 325/92, 327/251, 328/87, 330/87, 335/89 कुल रकबा 16.29 हैक्टर गै.मु.गोचर राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 ग्राम देउसर के खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर कुल रकबा 5.67 हैक्टर में रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम 1/3 हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार ना.स.23 दर्ज है। नकल खतौनी 24.02.07 अनुसार ग्राम देउसर के खसरा नम्बर 110, 111 कुल रकबा 5.67 में शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद कौम ब्राहम्ण सा. पांचवा खातेदार तथा नामा. सं. 23 दिनॉक 12.01.2007 बेचाननामा के द्वारा सम्पूर्ण खाता पर रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम 1/3 हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल हि.1/3 जाति जाट सा. देह खातेदारी स्वीकृत हुई। नामा. सं. 298 अनुसार ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 542 गै.मु.खारड़ा में से 542 मिन रकबा 15 बीघा शंकरलाल पुत्र हरीप्रसाद शर्मा सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। नामा. सं. 450 ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 616 गै.मु.खारड़ा मे से खसरा नम्बर 616/5 रकबा 20 बीघा शंकरलाल पुत्र हरीप्रसाद शर्मा सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। नामा. सं. 596 से शंकरलाल पुत्र हरीप्रसाद शर्मा सा. देह गैर खातेदार से खातेदार दर्ज है। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 318/111 1.04 हैक्टर गोचर दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2073–2075 ग्राम देउसर के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 5.67 हैक्टर में रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी, रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी, हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी दर्ज है। उपलब्ध रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस गत एवं नये नक्शा ट्रेस का मिलान किया गया। नक्शा ट्रेस अनुसार उपरोक्त भूमि शंकरलाला पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राहम्ण पांचवा को ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 542 में से 15 बीघा तथा गत खसरा नम्बर 616 में से 20 बीघा की आंवटन होकर गैरखातेदारी दर्ज रही तत्पश्चात खातेदारी दर्ज हुई। जिसकी पुष्टि जमाबंदी नकल 24.02.2007 अनुसार शंकरलाल पुत्र हरिप्रासाद कौम ब्राहम्ण सा. पांचवा ग्राम देउसर के खसरा नम्बर 110, 111 कुल रकबा 5.67 हैक्टर दर्ज है। [illegible] अनुसार खसरा नम्बर 646 के आस पास खसरा नम्बर 542 अंकित नही है त[illegible] नये [illegible]क्शा ट्रेस अनुसार नवीन खसरा नम्बर 111, 110, 318/111, 317[illegible] पास है तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 318/111 [illegible] 1.04 [illegible]मु.गोचर दर्ज है जबकि मौके पर उपरोक्त भूमि का कोई अस्तित्व ही नही है, उपरो[illegible] भूमि खसरा नम्बर 318/111 को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ही उपयोग उपभोग में ले रहे है तथा इन्ही के कब्जा काश्त मे है तथा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 110, 111 में स्थित चली आ रही है परन्तु नक्शा ट्रेस के नाम अनुसार भूमि कम हो रही है उपरोक्त खसरा नम्बर 317/116 एंव 113 का रकबा 0.74 एवं 0.40 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में कम है, जबकि मौके एवं नक्शा ट्रेस में पूर्ण है अतः खसरा नम्बर 318/111 का रकबा 1.04 हैक्टर उपरोक्त खसरा नम्बर 317/116 एवं 113 में समायोजित कर खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 के बजाय 2.18 किया जाना उचित है तथा खसरा नम्बर 318/111 विलोपित किया जावें तथा मौके पर खसरा नम्बर 318/111 को नवीन नक्शा ट्रेस से हटाया जावें। इस संबंध में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल मात्र जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर जो कि गत खसरा नम्बर 542 व 616 से बना है तथा भू–प्रबन्ध संक्रियाओं से पूर्व भी राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा आज भी राजकीय दर्ज है। दस्तावेजो से साबित है कि भूमि की किस्म गै.मु.खारड़ा दर्ज रही है तथा गोचर कैसे दर्ज हुई साबित नही है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि के विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 110, 111 कुल रकबा 5.67 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में कम है तथा खसरा नम्बर 318/111 नवीन नक्शा ट्रेस में गलत रूप से दर्ज है जिसे विलोपित किया जाकर रकबा 1.04 हैक्टर खसरा नम्बर 113, 317/116 में रकबा 1.14 हैक्टर के बजाया 2.18 किया जाना साबित है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य वादीगण एवं गवाहो के कथन इत्यादि से भी साबित है। इस प्रकार तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी सं. 2 एंव 3**</u> को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिन्होने अपने पक्ष में उपरोक्त दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये। वादीगण की खातेदारी ग्राम देऊसर के खसरा नम्बर 110 111 कुल रकबा 5.67 हैक्टर दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त भूमि माप करने पर कम आ रही है तथा मौके पर 5.67 हैक्टर पर कब्जा काश्त है, राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.14 हैक्टर सहवन से दर्ज है जिसे विलोपित किया जाकर उसका रकबा खसरा नम्बर 317/116, 113 में समायोजित किया जाना है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि तनकी संख्या एक में साबित हो चुकी है तथा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में साबित हो चुकी है अतः पृथक से विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नही है। अतः तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 4–**</u> को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 पर रहा। प्रतिवादी सं.2 ने केवल मात्र जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 542 व 616 का नवीन खसरा नम्र 318/111 रकबा 1.04 गै.मु.गोचर राजकीय खाते में दर्ज है तथा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिये जाने से काबिल खारिज है। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व की गई एक–पक्षीय कार्यवाही भी अप्रास्त कर जवाब हेतु समय दिया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए 80 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नही होते। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जिस प्रकार कथन किया गया है उससे प्रमाणित है कि गत खसरा नम्बर 542 616 का ही खसरा नम्बर 318/111 [illegible] में वादीगण की भूमि कम रही है उसका कोई प्रमाण या जवाब में कही भी [illegible] किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि मौके पर पूर्ण [illegible] में माप करने पर कम है जबकि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर [illegible] म्बर 318/111 को शामिल करते हुये माप करने पर 5.67 हैक्टर भूमि होती है इसलिए [illegible] सरा नम्बर 318/111 को विलोपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किये जाने तथा 318/111 के रकबे 1.04 हैक्टर को खसरा नम्बर 317/116, 113 में जोड़कर रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी सं. 4 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5.अनुतोष – ग्राम सरदारपुरा में से नया ग्राम बीजापुरा सम्वत 2076 में बनाया गया है, खसरा नम्बर 317/116 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु.गोचर, खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर गै.मु.गोचर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.40 हैक्टर गै.मु.रास्ता बने है। वादीगण के पक्ष में उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 से 4 निर्णित की जा चुकी है अतः वाद वादीगण साबित होने से काबिल डिक्री योग्य पाया गया। अतः निम्न प्रकार से वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम बीजापुरा पटवार मण्डल पांचवा के खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर को खसरा नम्बर 113, 317/116 में समाहित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 113 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर घोषित किया जाता है तथा रेकर्ड से खसरा नम्बर 318/111 का रकबा 1.04 हैक्टर विलोपित किया जाता है तथा ग्राम देउसर पटवार मण्डल पांचवा के खसरा नम्बर 111 का रकबा 5.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ नक्शा शीट में घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जावें डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में उपरोक्तानुसार तरमीम सही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 03/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 112/2013 **RCMS 2013/00079**

वादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम
2. हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल
3. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी देउसर तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासीं पाचवा तहसील कुचामनसिटी
2. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
3. निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी
4. पटवारी हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक, व स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा व गलत खसरा अकन की गलती के शुद्विकरण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम बीजापुरा पटवार मण्डल पांचवा के खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर को खसरा नम्बर 113, 317/116 में समाहित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 113 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर घोषित किया जाता है तथा रेकर्ड से खसरा नम्बर 318/111 का रकबा 1.04 हैक्टर विलोपित किया जाता है तथा ग्राम देउसर पटवार मण्डल पांचवा के खसरा नम्बर 111 का रकबा 5.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ नक्शा शीट में घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जावें। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में उपरोक्तानुसार तरमीम सही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो।** निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
ओहदा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकों का चाहे डिग्री के [illegible] दिखायी गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:00 IST
Reason: SelfAttested